Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में जलदाय विभाग में स्टोर मुन्शी एवं फोरमैन 1 लाख 25 हजार 4 सौ रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *02 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर नागौर इकाई द्वारा आज बुधवार को नागौर में कार्यवाही करते हुये नन्द किशोर भाटी स्टोर मुन्शी एवं माणकचन्द सांखला, फोरमैन को परिवादी से 1 लाख 25 हजार 4 सौ रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी की फर्म के धरोहर राशि (एसडी) का भुगतान करने की एवज में नन्द किशोर भाटी स्टोर मुन्शी द्वारा स्वयं के लिए 25 हजार 4 सौ रूपये एवं माणकचन्द सांखला, फोरमैन के लिए 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर एसीबी नागौर के **पुलिस निरीक्षक श्री मोहन सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये नन्द किशोर भाटी पुत्र श्री जवंरी लाल भाटी निवासी बास बाईसर, पो. ताउसर थाना कोतवाली जिला नागौर हाल स्टोर मुन्शी अतिरिक्त चार्ज आडिटर कार्यालय सहायक अभियन्ता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर को **1 लाख 25 हजार 4 सौ रूपये रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में माणकचन्द सांखला पुत्र स्व. श्री छगन लाल सांखला निवासी वार्ड नं. 42 राछौडी कुंआ थाना कोतवाली नागौर हाल फोरमैन अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियन्ता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।